भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बांड फ्रेमवर्क

केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रस्तावित सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लिए रूपरेखा जारी कर दी है। जिसके तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क (Sovereign Green Bonds Framework) को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही पेरिस समझौते के लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा जिससे ग्रीन प्रोजेक्ट्स में वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी कर जुटाये जाने वाले रकम को सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता (Carbon Intensity) को कम करने में मदद करेंगी।

अनुमान के अनुसार सरकार ग्रीन बॉन्ड के जरिए 16,000 करोड़ रुपये जुटा सकती है।और इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में ग्रीन बॉन्ड जारी किया जा सकता है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये बॉन्ड लंबी अवधि वाले होंगे।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, यह फ्रेमवर्क, 2021 में ग्लासगो में COP26 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के विजन "पंचामृत" के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुसार है। 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी कर ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए रिसोर्सेज जुटाने की बात की थी।

BYJU'S EXAM PREP

ग्रीन बांड फ्रेमवर्क : ग्रीन बॉन्ड क्या हैं?

ग्रीन बॉन्ड वित्तीय साधन हैं जो पर्यावरण के अनुकूल और जलवायु अनुकूल परियोजनाओं में निवेश के लिए आय उत्पन्न करते हैं। इन उपकरणों की पूंजी लागत नियमित बांडों की तुलना में कम होती है।

भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषणा की थी कि वह वर्तमान वित्तीय वर्ष में अपना पहला सॉवरेन ग्रीन बांड जारी करेगी। सरकार ने घोषणा की कि वह वित्त वर्ष 2023 की दूसरी छमाही के दौरान 16,000 रुपये के ग्रीन बॉन्ड की नीलामी करेगी। यह अक्टूबर-मार्च के लिए केंद्र सरकार के उधार कार्यक्रम का एक अंश है।

सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ऐसे फाइनैंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जो पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जलवायु-उपयुक्त परियोजनाओं में निवेश के लिए धन जुटाते हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नियमित बॉन्ड की तुलना में पूंजी की अपेक्षाकृत लागत को कम करती है।

इसी को ध्यान में रखते हुए भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ढांचा तैयार किया गया है और ढांचे के प्रावधानों के अनुसार, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने पर महत्वपूर्ण निर्णयों को मान्य करने के लिए ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी (GFWC) का गठन किया गया था।

ग्रीन बांड फ्रेमवर्क : फाइनेंस वर्किंग कमेटी

भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में ग्रीन बांड के माध्यम से वित्त पोषण के लिए योग्य परियोजना का चयन करने के लिए एक ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का गठन किया था। इसमें बड़े जल विद्युत संयंत्र शामिल नहीं हैं। समिति की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी। इसमें संबंधित मंत्रालयों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नीति आयोग, और वित्त मंत्रालय के अर्थशास्त्र विभाग और अन्य के बजट प्रभाग के सदस्य हैं।

ग्रीन बांड फ्रेमवर्क

ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क भारत सरकार द्वारा 9 नवंबर, 2022 को जारी किया गया है।

इस ढांचे के अनुसार, ग्रीन बांड पर मूलधन और ब्याज का भुगतान योग्य परियोजनाओं के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं होगा। इसलिए, निवेशक परियोजना से संबंधित किसी भी जोखिम से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होंगे।

पात्र व्यय सरकारी व्यय तक सीमित हैं जो बांड जारी करने से पहले 12 महीनों के भीतर हुए हैं। बांड के लिए सभी कार्यवाही जारी होने के 24 महीने के भीतर परियोजनाओं को आवंटित की जाएगी।

जबकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय को ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क में कोई भी बदलाव करने का अधिकार है, किए गए संशोधनों की समीक्षा एक स्वतंत्र संगठन द्वारा की जाएगी। नॉर्वे की सिसरो को भारत के ग्रीन बॉन्ड ढांचे का मूल्यांकन करने के लिए सेलेक्ट किया गया है । नॉर्वे स्थित सिसरो शेड्स ऑफ ग्रीन द्वारा रूपरेखा की समीक्षा की गई - एक फर्म जो ग्रीन बॉन्ड ढांचे पर दूसरी राय प्रदान करती है।

CICERO द्वारा "अच्छे" शासन स्कोर के साथ ढांचे को "मध्यम हरा" दर्जा दिया गया है। मध्यम हरी रेटिंग उन परियोजनाओं और समाधानों को प्रदान की जाती है जो दीर्घकालिक दृष्टि की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करते हैं लेकिन अभी तक पूरी तरह से नहीं हैं।